न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर.

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह सान्दू, आर.जे.एस.

दीवानी वाद संख्या : 19/2014

मैं परमेश्वर लाईट हाउस जरिये प्रोपराईटर राजेश गोयल पुत्र घनश्याल गोयल जाति महाजन निवासी आवासन मण्डल, सवाईमाधोपुर

–वादी

बनाम

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर
2. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दिलाये जाने राशि

उपस्थितिः

1. श्री रघु बंसल, अधिवक्ता, वादी
2. विद्वान राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 23.12.2016

1. वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 10.07.2014 को यह वाद पत्र बाबत दिलाये जाने बकाया राशि मय ब्याज के सम्बन्ध में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि वादी ने वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए रणथम्भोर गणेश मेले में विद्युत व्यवस्था हेतु प्रतिवादीगण द्वारा आमंत्रित निविदा में वादी की निविदा स्वीकार कर दिनांक 26.08.2011 को प्रतिवादी सं.1 ने वादी फर्म को कार्यादेश दिया एवं वादी ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण कार्य सावधानी से किया एवं दिन प्रतिदिन किये कार्य व विद्युत उपभोग के उपकरणों का लेखा–जोखा मेला प्रभारी, विद्युत प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके बावजूद भी वादी द्वारा मेले में लगाये विद्युत उपकरणों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। वादी ने बिल सं.18 व 19 दिनांक 12.09.2011 राशि 95,214 रूपये 90 पैसे प्रस्तुत किये, जिसमें से प्रतिवादी सं.1 ने जरिये चैक 70,974/– रूपये का भुगतान कर दिया, किन्तु वादी के प्रतिवादीगण पर 24,240/– रूपये बकाया है। वादी ने कानूनी सेवा क्लिनिक में भी आवेदन किया, किन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त राशि जमा करवाने से इंकार कर दिया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया, परन्तु बावजूद नोटिस बकाया राशि अदा नहीं की गई है। अतः उचित कोर्ट फीस पर वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मूल राशि 24,240/– रूपये व उस पर 12

प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए मय खर्चा डिक्री करने का निवेदन किया है।

2. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर गणेश मेले में लाईट व्यवस्था हेतु वादी की निविदा स्वीकार कर वादी को लाईट व्यवस्था की जिम्मेदारी देना स्वीकार किया व शेष वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर यह कथन किये हैं कि दिनांक 28.08.2011 को मीटिंग के दिवस जनरेटर से लाईट की व्यवस्था नहीं कर पुलिस चौकी, गणेश धाम के विद्युत कनेक्शन से चलाए गए थे, इस कारण कोई भुगतान देय नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत बिल में से 70,974/– रूपये का भुगतान बनता था, जिसका भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 29.08.2011 को सांयकाल 5 बजे विद्युत व्यवस्था की सुनिश्चितता हेतु रिहर्सल करना था एवं उक्त दिवस का कोई भुगतान देय नहीं था, जबकि वादीने उक्त दिवस का भुगतान अंकित कर बिल पेश किया है। वादी द्वारा अनुचिल लाभ प्राप्ति के लिए मेला स्थल पर दुकानदारों, भण्डारों से राशि प्राप्त कर उनकी ट्यूबलाईट, हेलोजन को भी बिल में जोड़कर भुगतान की मॉग की गई है। प्रतिदिन उपकरणों की मौके पर गणना की गई, कई उपकरण टूटे पाए गए। वादी द्वारा प्रस्तुत बिल की जॉच कर सही राशि काटकर भुगतान किया गया है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

3. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. आया वादी 2011 में रणथम्भोर गणेश मेले में विद्युत की व्यवस्था हेतु स्वीकृत निविदा के अनुसार विद्युत व्यवस्था व अन्य खर्चो के प्रतिवादीगण से 24240/– रूपये असली एवं 12 प्रतिशत सालाना की दर से दो वर्ष का ब्याज 5817/– रूपये व 1100/– रूपये नोटिस खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

   –वादी

2. आया वादी द्वारा जनरेटर से कोई लाईट व्यवस्था न की जाकर पुलिस चौकी गणेश धाम के विद्युत कनेक्शन से लाईट चलाये जाने के कारण कोई राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ?

   –प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ?

   –वादी

4. वादी की ओर से वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 राजेश गोयल को परीक्षित करवाया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 विद्युत व्यवस्था विवरण पत्र, प्रदर्श–2 कार्यादेश, प्रदर्श–3 नोटिस, प्रदर्श–4 व 5 पोस्टल रसीद, प्रदर्श–6 व 7 पावती रसीद को प्रदर्शित करवाये हैं।

5. प्रतिवादीगण की ओर से डी.डब्ल्यू.1 सरोज, विकास अधिकारी को परीक्षित करवाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए.1 कार्यालय आदेश, प्रदर्श ए.3 वादी द्वारा पेश बिल, प्रदर्श ए.4 वादी द्वारा पेश बिल, प्रदर्श ए.5 पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर द्वारा वादी को लिखा पत्र, प्रदर्श ए.6 निविदा पत्र प्रदर्शित करवाये हैं।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आध्योपान्त अवलोकन किया। विरचित तनकीयान पर साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष इस प्रकार है।

विवाद्यक सं.1ः

विवाद्यक सं.1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिवचन किये गये हैं कि वादी ने वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए रणथम्भोर गणेश मेले में विद्युत व्यवस्था हेतु प्रतिवादीगण द्वारा आमंत्रित निविदा में वादी की निविदा स्वीकार कर दिनांक 26.08.2011 को प्रतिवादी सं.1 ने वादी फर्म को कार्यादेश दिया एवं वादी ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण कार्य सावधानी से किया एवं दिन प्रतिदिन किये कार्य व विद्युत उपभोग के उपकरणों का लेखा–जोखा मेला प्रभारी, विद्युत प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके बावजूद भी वादी द्वारा मेले में लगाये विद्युत उपकरणों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। वादी ने बिल सं.18 व 19 दिनांक 12.09.2011 राशि 95,214 रूपये 90 पैसे प्रस्तुत किये, जिसमें से प्रतिवादी सं.1 ने जरिये चैक 70,974/– रूपये का भुगतान कर दिया, किन्तु वादी के प्रतिवादीगण पर 24,240/– रूपये बकाया है। इस सम्बन्ध में नोटिस भी दिया, परन्तु भुगतान नहीं दिया गया।

इस सम्बन्ध में साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 के रूप में वादी राजेश गोयल स्वयं परीक्षित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मेले में विद्युत व्यवस्था हेतु उसकी निविदा स्वीकार किया जाना व निविदा अनुसार कार्य कर बिल पेश करना बताया है तथा दस्तावेजात प्रदर्श–1 विद्युत व्यवस्था विवरण पत्र, प्रदर्श–2 कार्यादेश, प्रदर्श–3 नोटिस, प्रदर्श–4 व 5 पोस्टल रसीद, प्रदर्श–6 व 7 पावती रसीद को प्रदर्शित करवाये हैं। इ गवाह से विस्तृत जिरह की गई है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि बिल 95214/– रूपये का बना था, भुगतान 70974/– रूपये का किया गया, शेष भुगतान मुझे नहीं मिला। यह गलत है कि मैंने गलत तरीके से बिल पेश किया हो। यह गलत है कि मिटिंग में जनरेटर से लाईट की व्यवस्था नहीं की जाकर गणेश धाम चौकी से विद्युत कनेक्शन लेने की बात हुई हो। जिरह में ऐसा कोई तथ्य ऊभर कर सामने नहीं आया है, जिससे इस गवाह के कथनों पर

अविश्वास किया जा सके। वादी को मेले में विद्युत व्यवस्था हेतु निविदा स्वीकार कर कार्यादेश दिया जाना स्वयं प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू.1 सरोज बैरवा, विकास अधिकारी परीक्षित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण के रूप में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपना शपथ पत्र पेश करते हुए कथित किया है कि दिनांक 28.08.2011 को मीटिंग के दिवस जनरेटर से कोई लाईट की व्यवस्था नहीं की जाकर पुलिस चौकी, गणेश धाम से विद्युत कनेक्शन से विद्युत उपकरण चलाये जाने के कारण भुगतान देय नहीं होना बताया। वादी के बिल में 70,974/– रूपये भुगतान योग्य बनता था, जिसका भुगतान कर दिया गया है। वादी ने गलत तरीके से बिल पेश किया जाना बताया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मैं सर्विस में 26.11.2015 में आई हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि समिति सदस्यों द्वारा लाईट की दिन प्रतिदिन जॉच की जाती हो, इस प्रकार का मेरा अनुभव नहीं है। यह सही है कि 95,214/– रूपये का बिल पेश किया है। यह गलत है कि राशि काटकर बिल का भुगतान किया हो, बल्कि निविदा की शर्तो के अनुसार भुगतान किया था।

इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह तो स्पष्ट है कि मेला ड्यूटी के समय यह साक्षी मौके पर तैनात नहीं थी और ना ही इसे इस प्रकार का अनुभव है कि विद्युत व्यवस्था की इस प्रकार के आयोजनों में समिति सदस्यों द्वारा जॉच की जाती है या नहीं। इस गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वादी को राशि काटकर भुगतान किया हो, परन्तु इसस तथ्य को सही बताया है कि बिल 95214/– रूपये का था एवं स्वीकृत रूप से वादी को जरिये चैक 70974/– रूपये का भुगतान किया गया है अर्थात वादी द्वारा प्रस्तुत बिल राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के यह अभिवचन रहे हैं कि दिनांक 28.08.2011 को गणेश धाम चौकी से लाईट ली गई थी एवं वादी द्वारा जनरेटर सेट उपयोग में नहीं लिये गये, इस कारण उसको भुगतान नहीं कर बिल राशि काट लिया जाना बताया एवं खराब उपकरणों की जोड़ी राशि को काटना बताया, किन्तु इस सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं हुई है कि वादी ने दिनांक 28.08.2011 को गणेश धाम चौकी से विद्युत सप्लाई ली हो जबकि वादी द्वारा मौके पर किये गये व लगाये गये उपकरणों की दिन–प्रतिदिन का लेखा प्रदर्श–1 प्रदर्शित करवाया है, जिसे तत्कालीन मेला ड्यूटी में तैनात सचिव व अन्य मेलाड्यूटी में तैनात अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। वादी द्वारा किस प्रकार गलत राशि जोड़कर बिल पेश किया, यह तथ्य प्रतिवादीगण की साक्ष्य से साबित नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत बिल राशि 95,214/– रूपये में से 70,974/– रूपये

का भुगतान किया गया है एवं 24,240/– रूपये काट ली लिया जाना बताया है, उक्त राशि किस प्रकार अनुचित जोड़ी गई, यह तथ्य प्रतिवादीगण की साक्ष्य से साबित नहीं है ना ही तत्कालीन मेला मजिस्ट्रेट, विद्युत प्रभारी को परीक्षित करवाया, बल्कि ऐसे गवाह को परीक्षित करवाया, जो तत्समय मौके पर कार्यरत नहीं थी। अतः वादी प्रतिवादीगण से 24,240/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। जहाँ तक ब्याज का प्रश्न है। वादी ने 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है। किन्तु भुगतान नहीं किये जाने की सूरत में कोई ब्याज की दर पक्षकारों में तय रही हो, यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः वादी प्रतिवादीगण से उक्त बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। फलतः विवाद्यक सं.1 उपरोक्तानुसार वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक सं.2:

विवाद्यक सं.2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण की ओर से यह अभिवचन किये गये हैं कि वादी द्वारा जनरेटर से कोई लाईट व्यवस्था न की जाकर पुलिस चौकी गणेश धाम के विद्युत कनेक्शन से लाईट ली गई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही उस अवधि का गणेश धाम चौकी के विद्युत बिल की प्रति को पेश कर प्रदर्शित करवाया है, जिससे यह स्पष्ट हो सकता था कि वास्तव में अन्य महीनों की तुलना में उस अवधि का विद्युत बिल गणेश चौकी का अधिक रहा हो। ऐसे में साक्ष्य के अभाव में विवाद्यक सं.2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक सं.3 अनुतोषः

चूँकि विवाद्यक सं.1 वादी पक्ष साबित करने में सफल रहा है। अतः वादी प्रतिवादीगण से 24,240/– रूपये व उस पर छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्तानुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. अतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

1. वादी प्रतिवादीगण से संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक 24,240/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. वादी उक्त राशि पर बिल दिनांक 12.09.2011 से ता–वसूली छः प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने का अधिकारी है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

डिक्री पर्चा उपरोक्तानुसार बनाया जावें।

(सुरेन्द्र सिंह सान्दू)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
सवाईमाधोपुर

8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2016 को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
सवाईमाधोपुर